दिनांक–28 अगस्त, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

क्रम	विषय	निर्णय
	पर्यावरण एवं वन विभाग	
1.	पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले ''हरियाली मिशन'' के तहत ''मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना'' की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास)	
2.	राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–19 में कम्फेड द्वारा दुग्ध संघों/डेयरी परियोजना इकाईयों में नये डेयरी संयंत्रों/पशु आहार संयंत्र के स्थापना के लिए एन०सी०डी०सी० से ली जाने वाली ऋण की राशि ` 704. 00 करोड़ पर देय सूद की राशि ` 308.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।
	योजना एवं विकास विभाग	
3.	बिहार अवर योजना संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2012 की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	विधि विभाग	
4.	न्यायमंडल शिवहर की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग–3 एवं वर्ग–4) के कुल 119 पदों के सृजन के संबंध में।	स्वीकृत।
	संसदीय कार्य विभाग	
5.	पंचदश बिहार विधान सभा का षष्टम्–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 171वें सत्र का सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
6.	पूर्णिया जिलान्तर्गत मौजा–मधुबनी, थाना सं०–123/1, खाता सं०–1443, खेसरा सं०–2477 'क', रकबा– 0. 32 एकड़, खास महाल बिहार सरकार भूमि को जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण।	स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
7.	दरभंगा जिलान्तर्गत सदर अंचल के मौजा–वासुदेवपुर, थाना सं०–449, खाता सं०–1236, खेसरा सं०–3144,	स्वीकृत।

रकबा–34.5 डिसमिल गैर मजरूआ आम किस्म भीण्डा भूमि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वासुदेवपुर के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण।

<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

8. औरंगाबाद जिलान्तर्गत पर्यवेक्षण गृह के निर्माण हेतु अंचल–औरंगाबाद मौजा–कर्मा भगवान थाना नं०–268 खाता नं०–170 खेसरा नं०–783 रकबा–1.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

9. भागलपुर जिले के सुलतानगंज अंचल अंतर्गत मौजा जहाँगीरा, थाना सं०–73 खाता सं०–212 के खेसरा सं०–257 का 1.35 एकड़ एवं खेसरा सं०–261 का 1. 47 एकड़, कुल रकबा 2.82 एकड़, भीठ–2, अनाबाद बिहार सरकार भूमि, बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण। — स्वीकृत।

<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

10. मुंगेर जिलान्तर्गत पॉलटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु अंचल–हवेली खड़गपुर मौजा–रमनकावाद थाना नं०–382 खाता नं०–482 खेसरा नं०–2298 रकबा– 10.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक तालाब भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

<u>गृह विभाग (विशेष)</u>

11. भागलपुर दंगा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को न्याय दिलाने, पुनर्वासित करने और भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु गठित भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग के कार्यकाल की अवधि दिनांक–01. 09.2012 से दिनांक–28.02.2013 तक पूर्व शर्त्तों पर विस्तारित करने के संबंध में। — स्वीकृत।

कृषि विभाग

12. कृषि रोड मैप के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा विशेष बागवानी फसल कार्यक्रमों का वित्तीय वर्ष 2012–13 में 115.37 करोड़ रू० (केन्द्रांश–46.75 करोड़ रू०, राज्यांश–68.62 करोड़ रू०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा बागवानी (बाँस, औषधीय एवं सुगंधित पौधे सहित) के विकास से संबंधित कतिपय मदों में केन्द्र प्रायोजित योजना में अनुमान्य अनुदान के अतिरिक्त राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज अंचल, मौजा–चुरली, थाना सं०–15, खाता सं०–550, खेसरा सं०–321 का 0. 58 एकड़, खेसरा सं०–322 का 0.33 एकड़, खेसरा सं०–323 का 0.14 एकड़, खेसरा सं०–324 का 0. 11 एकड़, कुल रकवा–1.16 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म पुरानी परती एवं गढ़ा भूमि 4,29,200 (चार लाख उनतीस हजार दो सौ) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 5,36,500 (पाँच लाख छत्तीस हजार पाँच सौ) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 9,65,700 (नौ लाख पैंसठ हजार सात सौ) रूपये के भुगतान पर 36वीं बटालियन एस०एस०बी० कुर्ली कोट कैम्प परिसर हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण। — स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–1366/2007 में पारित न्यायादेश के अलोक में श्री अमरजीत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (असैनिक) को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संबंध में। — स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, 1949 के नियम 62 में संशोधन कर D.G.C.A द्वारा अधिकृत निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों द्वारा यात्रा 01.04.97 के प्रभाव से अधिकृत करने के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के भवन निर्माण हेतु रू० 500.00 लाख (पाँच सौ लाख) तथा अन्य व्ययों के निमित्त रू० 100.00 लाख (एक सौ लाख) अर्थात् कुल रू० 600.00 लाख (छः सौ लाख) मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

अन्यान्य

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

17. श्री नवीन कुमार, मुख्य सचिव बिहार 31.08.2012 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं। मुख्य सचिव के रूप में निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन एवं मंत्रिपरिषद् के कार्यों के सम्पादन में सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए मंत्रिपरिषद् उनके मंगलमय भविष्य की कामना करती है। **स्वीकृत।**